



# कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।



पत्रांक - 435/12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 19/18/2023।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय :-** जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसोड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के कि०मी० 7.00 से कि०मी० 10.00 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.262 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :-** अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-216/X-4-15/1(94)/2015, दिनांक-17.03.2015, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक-30/12-1, दिनांक-05.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसोड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के कि०मी० 7.00 से कि०मी० 10.00 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.262 हे० वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु याचक विभाग से धनराशि की मांग नहीं की गई है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि यू०आर०आर०डी०ए० देहरादून के पत्र संख्या-402/आई०-3-20/यू०आर०डी०ए०/12 दिनांक 18.05.2015 द्वारा जमा किया जा चुका है (संलग्नक-1)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा, कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें यह बताया गया है कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-2) इसके अतिरिक्त एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि रु० 117336.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में ऑन-लाईन कर दिया गया है (संलग्नक-3 एवं 4)।

812

५

4	भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लांक-11 भूतल सी०जी०आ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 221390.00 एन०पी०वी० की धनराशि एवं रू० 600000.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि हेतु कुल धनराशि रू० 821390.00 वन विभाग के पक्ष में पूर्व में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीसन (सिविल) 202/1995 के आई०ए० सं०- 566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) 11 भूतल सी०जी०आ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 221390.00 एन०पी०वी० की धनराशि एवं रू० 6,00000.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि हेतु कुल धनराशि रू० 821390.00 वन विभाग के पक्ष में पूर्व में जमा कर दी गयी है (संलग्नक-4)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-5)।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-6)।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-7)।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)

वन संरक्षक

16/8/23

संख्या:- 435/12-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)

वन संरक्षक

16/8/23



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०,सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी



दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०-01374.223804

Email Id :- [cepmgsyuttarkashi@rediffmail.com](mailto:cepmgsyuttarkashi@rediffmail.com)

पत्रांक 1300 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०

दिनांक 22/06/2023

सेवा में,  
प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन प्रभाग  
कोटबंगला उत्तरकाशी।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 07 से किमी० 10 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.262 है० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:- (1) कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनी की रेती का पत्रांक 2011/12-1 मुनीकीरेती / दिनांक 05.04.2023  
(2) आपका पत्रांक-4249/12-1 / दिनांक 20.04.2023  
(3) इस कार्यालय का पत्रांक-1860 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०, दिनांक 05.10.2015

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है, कि आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव पर लगायी गयी बिन्दु संख्या- 3, 4, 5, 6, 7, 8 की आपत्तियों के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाणों की मूल प्रति संलग्न कर दी गयी है एवं उक्त मोटर मार्ग पर 0.262 है० वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 9 तक की सभी शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जा चुका है।

क्र.स.	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यंथासंशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा मांग नहीं की गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०- 566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि यू०आर०आर०डी०ए० देहरादून के पत्र संख्या-402/आई०-3-20/यू०आर०आर०डी०ए०/12 दिनांक 18.05.2015 द्वारा जमा किया जा चुका है (संलग्नक-1)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे, कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें यह बताया गया है, कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-2) इसके अतिरिक्त एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि 117336.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में ऑन-लाइन कर दिया गया है (संलग्नक-3 एवं 4)।

o/c

Received

M.M.  
24/6/23

4	भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 221390.00 एन०पी०वी० की धनराशि एवं रू० 600000.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि हेतु कुल धनराशि रू० 821390.00 वन विभाग के पक्ष में पूर्व में जमा कर दी गयी थी। (संलग्नक-4)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीसन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्रापट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू० 221390.00 एन०पी०वी० की धनराशि एवं रू० 600000.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि हेतु कुल धनराशि रू० 821390.00 वन विभाग के पक्ष में पूर्व में जमा कर दी गयी थी। (संलग्नक-4)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-5)।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-6)।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-7)
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


  
अधिसासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०, उत्तरकाशी

पत्रांक 1300 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / तदिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
- 3 मुख्य अभियन्ता यू०आर०आर०डी० आई०टी० पार्क के सामने सहस्र धारा रोड, देहरादून।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, वृत्त मसूरी।

  
अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०, उत्तरकाशी



# कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक - 2011/12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 05/04/2023, I

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तरकाशी वन प्रभाग,  
उत्तरकाशी।

विषय :-

जनपद-उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विन्ध्यालीसोड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के कि०मी० 7.00 से कि०मी० 10.00 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.262 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक-2078/12-1, दिनांक-10.02.2023, I

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हो रही है-

- 1- बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा दूसरी समी निधियां जमा करने के उपरांत पावती की प्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित अनुपालन आख्या के साथ चस्था नहीं की गयी है।
- 2- बिन्दु संख्या 3,4,5,6,7,8 के अनुपालन में वचनबद्धता के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः प्राप्त अनुपालन आख्या मूल में इस आशय से वापिस की जा रही है कि उपरोक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित अनुपालन आख्या 03 प्रतिचों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न- चयोपरि।

उत्तरकाशी वन प्रभाग

पत्रांक.....4249.....

पत्रावली.....12-1.....

दिनांक.....20/04/23.....

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)

वन संरक्षक

संख्या:- 1 दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)

वन संरक्षक

श्रीलक्ष्मी  
दिनांक 11-8-15

(संलग्नक -1)

**उत्तराखण्ड शांति सड़क विकास अगिकरण**

ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अधिकार  
ग्राम सड़क, चमोली राज निदेशालय,  
कार्पोरेट मार्ग के समीप, सहरकाश रोड, देहरादून

दूरभाष :- 0135-2601175 फ़ैक्स :- 2601120

ई-मेल :- urrdn@yako.com

पत्रांक 402 /आई-3-20/यूआर0आर0डी0ए0/12 दिनांक 18 मई 2015

शाखा प्रबन्धक,  
ओरियन्ट बैंक ऑफ़ कॉमर्स,  
रेसकोर्स, देहरादून।

वित्त-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य बंद खाता सं० 15262011001939 से कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली को खाता सं०-037100101025229, में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार चेक सं०-058219 दिनांक 18.05.2015 धनराशि रु 82,25,131.00 संलग्न कर इस खाते में प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarakhal SB/Ac No 037100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली को करने का कट करे। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का विवरण निम्नानुसार है।

Name:- Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand  
Name of Bank:- Corporation Bank  
Address:- Lodhi Road Branch New Delhi.  
IFC Code:- CORP0000371  
A/C No:- 037100101025229  
MICR Code:- 110017007  
Branch code:- 00371

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	नोटल अधिकारी के सहायक स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक	जनपद	देय धनराशि			
				हाथपूरक मुआवजा	रुग्णपोषण	मार्ग के बर्तन और मुआवजा हेतु	योग
1	रेल से मट्टियाना मोटर मार्ग	पत्रांक-3028 / F.P./U.K/Road /9684/2015 दिनांक 25.04.2015	चमोली	1360216.00	4018820.00	1359000.00	6738036.00
2	सीरी से डनार मोटर मार्ग	पत्रांक-3017 / F.P./U.K/Road /10229/2015 दिनांक 14.04.2015	रुद्रप्रयाग	192665.00	473040.00		665705.00
3	चिन्वालीसोड से कोट-बागी मोटर मार्ग	पत्रांक-3022 / F.P./U.K/Road /8880/2015 दिनांक 24.04.2015	उत्तरकाशी	600000.00	221390.00		821390.00
			योग	2152551.00	4713250.00	1359000.00	8225131.00

Sanjay  
अतिरिक्त-उपस्थित

अधिसासी अभियन्ता  
यूआर0आर0डी0ए0  
18/05/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित नोटल अधिकारी एवं अपर प्रमुख जन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।  
अधिसासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एग0जी0एस0वाई0), चमोली/रुद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।

TR No = ORBCH 15139068506

Dt = 18/05/15


अधिसासी अभियन्ता

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्चालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)।

### एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि 336310.00 वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड,, उत्तरकाशी द्वारा जमा करा दी जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता,  
पी० एम० जी० एस० वाई०,  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

  
अधिसासी अभियन्ता,  
पी० एम० जी० एस० वाई०,  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

## AGENCY COPY

यूनियन बँक Union Bank  
OF INDIA



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-12-2022

Agency Name.	PMGSY ID UTTARKASHI
Application No.	6188800752
MoEF/SG File No.	1(94)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address.	ANUSHANDHAN COLONY JOSHIYARA UTTARKASHI Uttarkashi
Amount(In Rs)	117336/-

Amount In Words :One Lakh Seventeen Thousand Three Hundred and Thirty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896188800752 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

यूनियन बँक Union Bank  
OF INDIA



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-12-2022

Agency Name.	PMGSY ID UTTARKASHI
Application No.	6188800752
MoEF/SG File No.	1(94)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address:	ANUSHANDHAN COLONY JOSHIYARA UTTARKASHI Uttarkashi
Amount(in Rs)	117336/-

Amount In Words :One Lakh Seventeen Thousand Three Hundred and Thirty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896188800752 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Note:** After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: [fcsblr@unionbankofindia.bank](mailto:fcsblr@unionbankofindia.bank), [epurse@unionbankofindia.bank](mailto:epurse@unionbankofindia.bank), [ubin0903710@unionbankofindia.bank](mailto:ubin0903710@unionbankofindia.bank)



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. [dfouttarkashifd@gmail.com](mailto:dfouttarkashifd@gmail.com) Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 1397 /12-1, कोटबंगला दिनांक 18/11/2022

सेवा में,

अभिषारी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,  
उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड से कोटबागी मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से 10 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.262 हे0 वन भूमि में NPV की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक-1257/PO दिनांक 03.06.2022 एवं वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती का पत्रांक-2430/1-14 दिनांक 09.06.2022 एवं आपका कार्यालय पत्रांक-1947/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/वनभूमि दिनांक 09.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि ऐसे प्रकरण जिनमें 06.01.2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) जारी की जा चुकी है परन्तु वर्तमान समय तक विधिवत स्वीकृति (Stage-II Approval) जारी नहीं हुई है, में NPV की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र जारी कर प्रस्तावक विभाग से अतिरिक्त धनराशि वसूल करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

जिसके क्रम में आपके कार्यालय के पत्र सं0-1947/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/वनभूमि दिनांक 09.11.2022 से NPV की संशोधित दरों के अनुसार संशोधित डिमाण्ड नोट प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय से अनुरोध किया गया है।

अतः विषयगत मोटर मार्ग हेतु NPV की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार है :-

प्रस्ताव संख्या	ईको क्लास	क्षेत्रफल (हे0 में)	Stage-I की तिथि	प्रयोज्य अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन0पी0वी0 धनराशि का विवरण			वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आंकलन			जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि (रु0 में)
				औसत घनत्व	दर प्रति हे0	धनराशि (रु0 में)	औसत घनत्व	दर प्रति हे0	धनराशि (रु0 में)	
FP/UK/ROAD/8880/2015	v	0.262	17.03.2015	0.6	845000.00	221390.00	0.6	1292850.00	338726.70	117336.00

उपरोक्तानुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 117336.00 का (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आंख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

D/Man  
23/11/2022  
पत्रांक 1397 /12-1 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि -

भवदीय  
(पुनीत तोमर)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत तोमर)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

(21/10/2015-4)




Detail	Application_No	Application Ra (New)	Date of IN-PRINCIPLE Ra.)	Amount to be Paid/Amount Paid (in PRINCIPLE Ra.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/8880/2014 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8880/2014) Chinyalisaur to Kot-Bagli motor Road from Km. 7.00 to Km. 10.00 bill kot village	ROAD88802014752	6188800752	17 Apr 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 117336/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 117336/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 Dec 2022 Transaction Date 17 Jan 2023	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/261120221323345527_FP,UK) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pi
FP/UK/ROAD/9574/2015 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/9574/2015) Nakuri Singot Motor Road To Paab Motor Road	ROAD95742015469	6195740469	02 May 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 0/-, REMAINING NPV: 489052.2/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 489052.2/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 29 Sep 2022 Transaction Date 17 Nov 2022	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/200920221530046706_FP,UK) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pi
FP/UK/ROAD/39017/2019 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/39017/2019) Tharang to Salang Motor Road	ROAD390172019972	6139017972	04 Sep 2020	CA: 2189673/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2133279/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4322952/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 06 Oct 2020 Transaction Date 20 Jan 2021	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/10113123612 Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.as
FP/UK/ROAD/9590/2015 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/9590/2015) DT Road to Kumarkot Motor Road	ROAD95902015144	6195900144	25 Oct 2018	CA: 1158687/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1597050/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2755737/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 30 Aug 2019 Transaction Date 07 Sep 2019	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/71122122412 Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.as
FP/UK/ROAD/8571/2014 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8571/2014) construction of chinyalisaur jogath motor road to Bagodi motor Road	ROAD85712014539	11385712014539	21 Apr 2015	CA: 377234/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1114555/-, Strip plantation: 570000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2061789/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date :30 Jul 2015	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/41111125212 Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.as
FP/UK/ROAD/9574/2015 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/9574/2015) Nakuri Singot Motor Road To Paab Motor Road	ROAD95742015610	11395742015610	02 May 2015	CA: 283920/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 922740/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1206660/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date 25 May 2015	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/51120121121 Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.as
FP/UK/ROAD/8880/2014 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8880/2014) Chinyalisaur to Kot-Bagli motor Road from Km. 7.00 to Km. 10.00 bill kot village	ROAD88802014655	11388802014655	17 Apr 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 600000/-, Strip plantation: 221390/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 821390/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date 19 May 2015	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/61116125121 Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.as

Funds to be deposited in Govt. Exchequer











Help

Click on  **Generate Challan** to generate challan.



-  **Paid** : This icon shows that the payment has been deposited.
-  **To be Paid** : This icon shows that the payment of this yet to be made.
-  **Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.

Proposals received on or after 15th July 2014  All Proposals received upto 14th July 2014

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Status
1	FP/UK/ROAD/8880/2014	ROAD88802014752	6188800752	Chinyalisaur to Kot-Bagi motor Road from Km. 7.00 to Km. 10.00 till kot village	Road	0.262	PMGSY ID UTTARKASHI	17-4-2015	16-12-2022		
2	FP/UK/ROAD/9574/2015	ROAD95742015469	6195740469	Nakuri Singot Motor Road To Paab Motor Road	Road	1.092	PMGSY ID UTTARKASHI	02-5-2015	22-9-2022		
3	FP/UK/ROAD/39017/2019	ROAD390172019972	6139017972	Thirang to Salang Motor Road	Road	3.247	PMGSY ID UTTARKASHI	04-9-2020	05-10-2020		
4	FP/UK/ROAD/9590/2015	ROAD95902015144	6195900144	DT Road to Kumarkot Motor Road	Road	1.89	PMGSY ID UTTARKASHI	25-10-2018	29-8-2019		
5	FP/UK/ROAD/8880/2014	ROAD88802014655	11388802014655	Chinyalisaur to Kot-Bagi motor Road from Km. 7.00 to Km. 10.00 till kot village	Road	0.262	PMGSY ID UTTARKASHI	17-4-2015	23-6-2016		



SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

Open Government Data (OGD) Platform India


The national portal of India  
**india.gov.in**


संलग्नक-4  
(संलग्नक-5)


परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गिन्नातीरीय से मोट-गापी मोटर मार्ग के किमी 7.00 से किमी 10.00 फीट गॉग तक मोटर मार्ग निर्माण (लग्नाई 300 गिन्नी) हेतु नन गृणि दरतान्तरण प्रस्ताव (मुत्त नन गृणि 0.390 हेन)।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

भू-वैज्ञानिक आख्या संलग्न है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
पी० एम० जी० एस० वाई०,  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकारी

  
सहायक अभियन्ता,  
पी० एम० जी० एस० वाई०,  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकारी

  
अधिरासी अभियन्ता,  
पी० एम० जी० एस० वाई०,  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकारी

कार्यालय प्रमुख अगियन्ता  
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग  
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 57/2748/14

जनपद उत्तरकाशी में प्र० ग्रा० सड़क योजना में चिन्यालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

PC Attested

जुलाई 2014

सहायक अगियन्ता  
निर्वाहक खण्ड लोक निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड

(R) (SP)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून  
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHARGE, PWD, DEHRADUN, UTTARAKHAND  
Phone&Fax: +91135-2530467, 2530431 E-Mail: envidua@rediff.com

पत्रांक:- 70/भू/लो०नि०/6/14

दिनांक:- 1/07/2014

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
उत्तरकाशी।

विषय:- मार्ग समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित चिन्यालीसीड़ से कोट-वागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

लग्नक-यथोपरि।

पत्रांक:-

H. Kumar  
1.7.14  
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक  
दिनांक:-

लिपि:- कार्यालय प्रमुख अभियन्ता यातायात वर्ग लो०नि०वि० देहरादून को आख्या की प्रतिसहित को सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

PC Attested

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो०-नि० वि०  
उत्तरकाशी

काशी में प्र० ग्रा० सड़क योजना में चिन्वालीसीड़ से कोट-वागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित  
समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

(16)

(53)

सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अन्तर्गत 10 कि०मी० लम्बाई में चिन्वालीसीड़-कोट-वागी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिसारी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अद्योहरताश्री द्वारा दिनांक 19.6.2014 को संबंधित सहायक अभियन्ता श्री के० सी० त्यागी एवं कनिष्ठ अभियन्ता शिवराज रावत के साथ निरीक्षण किया गया।

2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-11 में चिन्वालीसीड़ से कोट-वागी मोटर मार्ग का 10.00 कि०मी० लम्बाई में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि पूर्व में राज्य योजना में यह मार्ग 7.00 कि०मी० लम्बाई के लिये स्वीकृत था तथा वह समरेखन भी निर्धारित हो चुका था। प्र० ग्रा० सड़क योजना में अब 7.00 कि०मी० के उसी समरेखन को अपनाया गया है तथा आगे कोट गांव तक 3.00 कि०मी० नया समरेखन किया गया है। यह समरेखन चिन्वालीसीड़ में सिंचाई विभाग की कालोनी के मार्ग में सूरीदांग नामक स्थान से आरम्भ होता है तथा चिन्वालीगांव एवं वागी होते हुये निर्धारित 10.00 कि०मी० लम्बाई में कोट पहुंच कर पूर्ण होता है। अवगत कराया गया है कि समरेखन नाप भूमि एवं वन भूमि से होकर गुजरता है। मार्ग निर्माण हेतु 7.29 है० नाप भूमि एवं 1.71 है० वनभूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता बताई गई है। समरेखन में कुल 13 हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित है, जिनमें पांचवा एवं छटा बैण्ड बहुत निकट है, (क्रास सैक्शन 4/16 व 4/19) अतः विस्तृत सर्वेक्षण के समय इनके मध्य दूरी बढ़ाये जाने पर विचार किया जाये। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये। पास-पास स्थित बैण्ड्स के मध्य यथासम्भव दूरी बढ़ाई जाये तथा एक के ऊपर दूसरा बैण्ड ना बनाया जाये।

(ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाना चाहिये अन्यथा मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

(घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(ङ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

PC Attested

- (ग) जहां मार्ग कटान की समाप्ति अधिक हो और स्टेप कम्पेन्स हो, आवश्यक होने पर एक मार्ग में मार्ग कटान के साथ साथ समुचित स्टेप कटान का निर्माण किया जाये।
- (घ) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से उत्तर न भीगे पहाड़ी ढलान पर समुचित पैदल का संपन्न किया जाये जिससे ढलान पर भूधारण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
- (च) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाइड ड्रेन एवं रकपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि रकपर के पानी से भूधारण न हो।
- (ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विनियमों का भी पालन किया जाये।

मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी विन्दु:-

- (क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।
6. चिन्वालीसीड-कोट-वागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.00 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये संवत्सण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट विन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।
- (2) मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता०-उ०/05 दि० 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

PC Attested

साहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो० नि० वि०  
उत्तरकाशी

H. K. Kumar  
1.7.14  
वरिष्ठ भूबैज्ञानिक  
जनरल प्रमुख अभियन्ता  
लो० नि० वि० उपाखण्ड  
देहरादून





(53)

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गिन्गातीरीह से कोट-वाणी कोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाँव तक कोटर मार्ग निर्माण (लग्नाई 300 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (गुल वन भूमि 0.390 है०)।

मू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु मू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता,  
पी० एम० जी० एस० वाई०,  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

  
अधिसारी अभियन्ता,  
पी० एम० जी० एस० वाई०,  
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

(अंलग्नक - 6)

## प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड से कोट बागी मोटर मार्ग के किमी. 7.00 से किमी. 10.00 तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी.) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वनभूमि 0.398 है०)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड से कोट बागी मोटर मार्ग के प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त के अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।



कनिष्ठ अभियन्ता  
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड  
उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता  
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड  
उत्तरकाशी



अधिशायी अभियन्ता  
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड  
उत्तरकाशी

(49)

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्वाली सौद  
के कोह-बागी मोटर मार्ग के किमी. 7.44 से 10.40 कोट जों  
तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोट  
तहसील चिन्वाली, जिला सुरगढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला सुरगढ़ उत्तराखण्ड में  
कोट के कोह-बागी मोटर मार्ग पर 10.40 किमी परियोजना के निर्माण हेतु (10.40  
हे0) आरक्षित वन भूमि, 0.262 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.236 हे0, वन पंचायत भूमि  
0.400 हे0) अर्थात् कुल 0.898 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के  
पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत  
किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोट द्वारा 21/01/14 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं! \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का  
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित  
किया गया कि ग्राम कोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि  
ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर  
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव



नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

PC Attested .

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0  
उत्तराखण्ड

भगवान दा0  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत कांन्सी (कोट)  
वि0ख0 चिन्वाली सौद

विषयक के क्रम में अवगत कराना है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  
अन से बिहार मोटर मार्ग स्टेज-2 के निर्माण कार्य हेतु अनुवन्ध संख्या-

100

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा-कोट,  
तहसील- चिन्वालीसौड़, जिला-उत्तरकाशी की जनसंख्या-  
336 एवं कुल परिवारों की संख्या-...120...है।

ग्राम सभा  
अध्यक्ष  
क्षेत्र पंचायत कांन्धी (कोट)  
वि०सं० चिन्वाली सौड़

ह/०  
ग्राम प्रधान कोट  
क्षेत्र पंचायत चिन्वालीसौड़  
जिला उत्तरकाशी

PC Attested



(श्री० एस० चौहान)  
अपर सहायक अभियन्ता  
सिवाईखण्ड, लोक निर्माण विभाग  
उत्तरकाशी

दिनांक 7/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
 ग्राम पंचायत

पृष्ठ-231

100 (1)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री. प्रताप सिंह	
2	श्री. श्रीराम सिंह	
3	श्री. राम सिंह	
4	श्री. राजेश देवी	
5	श्री. नरेश सिंह	
6	श्री. अशोक सिंह	
7	श्री. राजेश सिंह	
8	श्री. इन्द्र सिंह	
9	श्री. मधु देवी	
10	श्री. उमेश देवी	
11	श्री. अशोक देवी	
12	श्री. अशोक देवी	
13	श्री. मीरा देवी	
14	श्री. अशोक सिंह	
15	श्री. सुरेश सिंह	
16	श्री. बलदेवी देवी	
17	श्री. लीला देवी	
18	श्री. अशोक सिंह	
19	श्री. विद्या देवी	
20	श्री. विनीता देवी	
21	श्री. लक्ष्मी देवी	
22	श्री. प्रीति सिंह	
23	श्री. कमल सिंह	
24	श्री. प्रताप सिंह	
25	श्री. अशोक सिंह	
26	श्री. वीणा देवी	
27	श्री. लक्ष्मी देवी	
28	श्री. विजय सिंह	
29	श्री. कल्याणी देवी	
30	श्री. अशोक सिंह	
31	श्री. अशोक सिंह	
32	श्री. विनीता देवी	

PC Attested

श्री. अशोक सिंह  
 ग्राम पंचायत कार्यपालक (कॉन्ट्रोलर)  
 वि.सं. 100/2017

श्री. अशोक सिंह  
 ग्राम पंचायत कार्यपालक (कॉन्ट्रोलर)  
 वि.सं. 100/2017

दिनांक 2/10/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
 ग्राम पंचायत कोट

पृष्ठ 231

100 (ii)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
33	बालू म। सिंह	
34	रूप सिंह	
35	नूतिया देवी	
36	हेम सिंह	
37	अनवर सिंह	
38	पारु देवी	
39	शोविन्द सिंह	
40	गोपाल सिंह	
41	पुलक जाल	
42	विमला देवी	
43	सोहन जाल	
44	लोना देवी	
45	रमेश जाल	
46	भाम सिंह	
47	नरेंद्र सिंह	
48	अर्जुन जाल	
49	दिनेश कुमार	
50	मंगल सिंह	
51	तैय सिंह	
52	विजयपाल सिंह	
53	रघुचन्द सिंह	
54	अनिता देवी	
55	कमली देवी	
56	महादेव सिंह	
57	शैला देवी	
58	शूरवीर सिंह	
59	महेश सिंह	
60	हरज सिंह	
61	मान सिंह	
62	पुष्पा देवी	
63	मीना देवी	
64	लक्ष्मी देवी	

PC Attested

*(Signature)*

(ग्राम सभा की अध्यक्ष)  
 ग्राम सहायक अधिकारी  
 सिविल, एन. ए. विभाग  
 कोट

अ. ग. व. प. 10/14  
 सदस्य  
 ग्राम पंचायत कोट (कोट)  
 वि. 0210 दिनांक 02/10/14

*(Signature)*  
 ग्राम पंचायत कोट  
 दिनांक 02/10/14

दिनांक 7/10/2014 को ग्राम सभा की सामान्य बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत खोटे

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित नरियत ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
63	श्री बलराम सिंह	Jitendra Singh Pansari
64	श्रीमती आबा देवी	श्रीमती आबा
65	श्री जे.ए. सिंह	जे.ए.
66	श्रीमती ललिता देवी	श्रीमती ललिता
67	श्री जे.एन. सिंह	जे.एन.
68	श्रीमती लक्ष्मेश्वरी देवी	लक्ष्मेश्वरी देवी
69	श्री रवारी देवी	रवारी देवी
70	श्री लक्ष्मण	लक्ष्मण
71	श्री सुदे सिंह	सुदे सिंह
72	पान सिंह	पान सिंह
73	इलम सिंह	इलम सिंह
74	श्रीमती लक्ष्मी देवी	श्रीमती लक्ष्मी देवी
75	कौर सिंह	कौर सिंह
76	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
77	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
78	विजयपाल सिंह	विजयपाल सिंह
79	शकेश सिंह	शकेश सिंह
80	नट्टी सिंह	नट्टी सिंह
81	अमर सिंह	अमर सिंह
82	गाम्भीर सिंह	गाम्भीर सिंह
83	खुरेश सिंह	खुरेश सिंह
84	मनोज कुमार	मनोज कुमार
85	सैना देवी	सैना देवी
86	समरा देवी	समरा देवी
87	अमर सिंह	अमर सिंह
88	शिव सिंह	शिव सिंह
89	सुमन्य देवी	सुमन्य देवी
90	जलपते सिंह	जलपते सिंह
91	सुलोचना देवी	सुलोचना देवी
92	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
93	अ.ड. देवी	अ.ड. देवी
94	हनुमान सिंह	हनुमान सिंह

PC Attested

*(Signature)*  
अध्यक्ष

(आ.स. प्र.स. चौहान) क्षेत्र पंचायत खोटे (खोटे)  
ग्राम सहायक अधिकारी (खोटे) चिन्मयी चौहान  
विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
उत्तरप्रदेश

*(Signature)*  
ग्राम

ग्राम पंचायत खोटे  
विकास एवं विभागीय  
जनपद सारवाशी

संख्या १११  
 दिनांक २७/१०/२०१५ को नाम तथा की सम्पत्ति के नाम की पहचानि  
 नाम परामर्श के लिए

क्रमांक	नाम तथा की सम्पत्ति के नाम	हस्ताक्षर
95	श्री केशवजी सिंह	श्री केशवजी सिंह
96	श्री श्री धारु मनी देवी	श्री श्री धारु मनी देवी
97	इन्द्रजीत सिंह	इन्द्रजीत सिंह
98	गोविंद लाल	गोविंद लाल
99	श्री लाल	श्री लाल
100	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
101	विजय कुमार	विजय कुमार
102	जयप्रकाश	जयप्रकाश
103	गोविंद चन्द्र	गोविंद चन्द्र
104	श्री श्री देवी	श्री श्री देवी
105	श्री लाल	श्री लाल
106	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
107	श्री लाल कुमार	श्री लाल कुमार
108	विजय प्रकाश	विजय प्रकाश
109	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
110	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
111	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
112	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
113	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
114	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
115	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
116	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
117	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
118	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
119	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
120	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
121	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
122	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
123	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
124	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
125	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी
126	श्री लाल देवी	श्री लाल देवी

PC Attested

श्री श्री चण्ड  
 अपर सहायक  
 दिनांक २७/१०/२०१५  
 उत्तरकाशी

श्री श्री चण्ड  
 सहायक  
 दिनांक २७/१०/२०१५  
 उत्तरकाशी

श्री श्री चण्ड  
 सहायक  
 दिनांक २७/१०/२०१५  
 उत्तरकाशी




कार्य के 20 प्रतिशत से अधिक एवं 20 प्रतिशत से कम अनुबंध बनाना है।

करना है, कि प्रमानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्टेज-2 के निर्माण कार्य हेतु अनुबंध संख्या-

पत्र-231

दिनांक 27/10/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत - खोदा

100/37

क्रमांक	ग्राम सभा की उपस्थित करिये ग्राम वाशियों के नाम	हस्ताक्षर
127	श्री गते कावता देवी	कावता
128	खुन्दर लाल	खुन्दर लाल
129	खरीत सिंह	खरीत सिंह
130	खान सिंह	खान सिंह
131	शरत सिंह	शरत सिंह
132	दशम सिंह	दशम सिंह
133	चैन सिंह	चैन सिंह
134	करीम सिंह	करीम सिंह
135	श्रीमान सिंह	श्रीमान सिंह
136	श्रीमान देवा	श्रीमान देवा
श्रीमान देवा सदस्य क्षेत्र पंचायत काठिया (फोटो) खोदा विधानसभा क्षेत्र		
PC/...		
 (PC का नाम) ग्राम सभा के अध्यक्ष खोदा विधानसभा क्षेत्र खोदा		

अध्यक्ष  
ग्राम सभा  
खोदा विधानसभा क्षेत्र  
खोदा

परियोजना का नाम- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्वालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के निर्माण 700 से किमी 1000 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 300 किमी) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 हे०)।

कार्यलय उप जिलाधिकारी, चिन्वालीसौड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चिन्वालीसौड़

उपखण्ड चिन्वालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत कोट गाँव (0.262 हे० आरक्षित वन भूमि 0.136 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.398 हे० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील चिन्वालीसौड़ की दिनांक 17/11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |                           |                           |              |            |
|---------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| 1- श्री- विजयनाथ शुक्ल    | उप जिलाधिकारी             | चिन्वालीसौड़ | अध्यक्ष    |
| 2- श्री-के०के० श्रीवास्तव | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | उत्तरकाशी    | सदस्य      |
| 3- श्री-संजय लिंगवाल      | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | उत्तरकाशी    | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री-अश्वानन्द         | बी०डी०सी० क्षेत्र         | कोट          | सदस्य      |

अ.प.नं० 4/10  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत कांन्सी(कै)  
वि०ख० चिन्वाली सौड़

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-13 के अन्तर्गत चिन्वालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग निर्माण की परियोजना हेतु 0.398 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधि नियम 2008 के प्रतिधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्वालीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्वालीसौड से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) के लिये वन भूमि परियोजना के निर्माण हेतु 0.398 हे० वन भूमि एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - चिन्वालीसौड

जनपद-उत्तरकाशी

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - चिन्वालीसौड

जनपद - उत्तरकाशी

प्रपत्र -23.3

परियोजना का नाम:- परियोजना का नाम-- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्चालीसौड से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण -पत्र

जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-13 के अन्तर्गत चिन्चालीसौड से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.398 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्त एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति दिनांक.....तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकारी अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना व निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह०/-  
जिलाधिकारी

नोट:- वन अधिकार अधिनियम 2006 के वॉछित समस्त सूचनायें प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

## FORM-I

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Name of Project-Construction of Chinyalisaur to Kot-Bagl km 7.00 to km 10.00 motor road  
under P.M.G.S.Y

No. 22

Dated 22-12-14

## TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.398 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Rural Road Development Authority for Road construction work in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Kot village in Chinyalisaur tehsils.

## It is further certified that:

- (d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.398 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s), and the District Level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- (f) The proposal does not involve recognised right of primitive Tribal group and pre-agricultural communities.

Encl.: As above

Signature  
जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

(Full name and official seal of the District collector)

पत्रप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S deputy commissioner, Uttarkashi on dated. 22.12.14 at Uttarkashi in which application claiming rights in area measuring 0.398 hect. for the **Construction of Chinyalisaur to Kot-Bagi motor Road from Km. 7.00 to Km. 10.00 till kot village** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi

Dated: 22.12.14



(C. Ravishankar)

District Magistrate,


Uttarkashi


(2)


परियोजना का नाम- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्वातीरीठ रो कोट-बागी गोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गीव तक गोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 हे०)।

दल उने वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रमाणित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
पी० एच० जी० एस० बार्ड०, सिंचाई  
खण्ड, उत्तरकाशी

  
सहायक अभियन्ता,  
पी० एच० जी० एस० बार्ड०,  
खण्ड, उत्तरकाशी, सिंचाई  
उत्तरकाशी

  
अध्यासरी अभियन्ता  
पी० एच० जी० एस० बार्ड०,  
खण्ड, उत्तरकाशी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरसू-चिन्वालीसौड़ से कोटवागी के किमी० 7.00 से 10.00 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग (0.262 है०) पर नव निर्माण के पश्चात जहां-जहां पर सम्भव हो सके, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation (पथ वृक्षारोपण) किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिं०ख०  
उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिं०ख०  
उत्तरकाशी



अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिं०ख०  
उत्तरकाशी